दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

2801

पत्रांक : 2182 /05/76/एक/2016–17 दिनांक : 04 अगस्त 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–कानपुर नगर।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2016–17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**आईएफएससी कोड**	**धनराशि**
एच0डी0एफ0सी0 बैंक	02981000135746	IFSC Code HDFC0000298	476.808

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	कानपुर नगर	**अल्पसंख्यक–37 बजट**	न0नि0 कानपुर	शिवपुरी निकट छपेड़ा पार्ट–सी में अनूप अस्थाना के मकान से गुरूकुल एजुकेशन सेन्टर तक, मनोज श्रीवास्तव के मकान से उमेश वर्मा के मकान तक, अयोध्या प्रसाद शर्मा के मकान से अशोक मिश्रा के मकान तक, बाम्बा रोड से धर्म प्रकाश शर्मा के मकान तक एवं भारती मिश्रा के मकान से शिव मन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	36.046
2	कानपुर नगर	**अल्पसंख्यक–37 बजट**	न0नि0 कानपुर	मिर्जापुर पार्ट–ओ में देशराज पाल के मकान से पंकज शुक्ला के मकान से श्रवण वर्मा के मकान तक, सत्यप्रकाश तिवारी के मकान से मोहित शुक्ला के मकान तक, सत्यप्रकाश तिवारी के मकान से रमेश यादव के मकान से रामचन्द्र चौधरी तक, प्रेम कुमार के मकान से मान सिंह के मकान तक, दुर्गा प्रसाद दुबे के मकान से राकेश शर्मा के मकान से रामजी दुबे के मकान तक, मुंशी लाल शर्मा से राम औतार मिश्रा के मकान से आया श्रीवास्तव के मकान तक, राम गोपाल पाल के मकान से राजेश शुक्ला के मकान से एस.एस. पाल के मकान तक, राजेन्द्र त्रिपाठी के मकान से महेश पाण्डेय के मकान तक, राम सुरेश दुबे के मकान से रामू दिवाकर के मकान तक, राजेन्द्र त्रिपाठी के मकान से राम प्रकाश कुशवाहा के मकान तक, रामा उपाध्याय के मकान से फौजी के मकान तक, राम सुरेश दुबे के मकान से मोहित यादव के मकान तक, शिव प्रताप सिंह के मकान से इन्द्र प्रताप राठौर के मकान तक, राम गोपाल पाल के मकान से सुखवीर सिंह के मकान तक, बाबू लाल कुशवाहा के मकान से राकेश कुमार दुबे के मकान तक, दुर्गा प्रसाद के मकान से रवी सिंह के मकान तक, डा0 डी0सी0	130.759

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

280/2

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
				कटियार के मकान से डी0पी0 मिश्रा के मकान से शिव गोविन्द तक एवं अनिल कुमार के मकान से राजकुमार पाल के मकान से गया प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	
3	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	सुखऊपुरवा पार्ट–ए में पंचमुखी हनुमान मन्दिर से एकलव्य स्कूल क्रॉसिंग / रज्जन हाउस तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.425
4	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	कश्यप नगर पार्ट–ई में सरवन कश्यप के मकान से प्रभु दयाल यादव के मकान तक, विजय सिंह यादव के मकान से उमेश दुबे के मकान तक, विजय सिंह यादव के मकान से शिव नरायण सिंह यादव के मकान तक, अरूण गौतम के मकान से गुल्लु यादव के मकान तक, इन्द्रजीत सिंह यादव के मकान से विनोद कुशवाहा के मकान तक, एम0के0 यादव के मकान से उमेश दुबे के मकान तक, सूबेदार श्याम सुन्दर के मकान से कमलेश पाल के मकान तक, अरविन्द सिंह गौड़ के मकान से अजय कुमार यादव के मकान तक, शिवाकान्त यादव के मकान से आर0के0 कटियार के मकान तक, अहवरन सिंह यादव के मकान से शैल्जा भदौरिया के मकान तक, राजकुमार वर्मा के मकान से यतेन्द्र स्वरूप दीक्षित के मकान तक एवं प्रिन्स जनरल स्टोर से गजेन्द्र सिंह यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	168.598
5	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	खलासी लाइन में एस0पी0 बन्द के मकान से जय नरायण के मकान तक, जमुना पेड़े वाले के मकान से सुरेश मिश्रा के मकान तक, जय प्रकाश के मकान से मंगल पाण्डेय के मकान तक, चन्द्रिका प्रसाद सोनकर के मकान से बाबूराम के मकान तक, राजकली के मकान से दीपू कोरी के मकान तक, सनी रावत के मकान से रामकृष्ण गुप्ता के मकान तक, रामकिशन के मकान से दशरथ के मकान से हरी के मकान तक, हरी के मकान से फरीद के मकान तक, हरी के मकान से अशरफ के मकान से पार्क तक एवं हरीश चन्द्र श्रीवास्तव के मकान से मर्दन हेयर ड्रेसर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.742
6	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मकड़ीखेड़ा पार्ट–आई में राम औतार के घर से मुख्तार अहमद के घर तक, मुख्तार अहमद के मकान से आशीष के मकान तक, जयबीर के मकान से कनौजिया के मकान तक, पैराल गली से सी तक, कनौजिया के मकान से बाल्मीकि के मकान तक एवं अन्य गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.858
7	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मकड़ीखेड़ा पार्ट–जे में राम पाल के मकान से कैलाश बाबू के मकान तक, भोला के मकान से मौर्या के मकान तक, कैलाश बाबू के मकान से मौर्या के मकान तक, कैलाश बाबू के मकान से बहादुर के मकान तक, इन्द्रमणि तिवारी के मकान से मोतीलाल त्रिपाठी के मकान तक,	80.380

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

280/3

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
				प्रजापति के मकान से दीपक जनरल स्टोर तक, नीलेश के मकान से आशीष मिश्रा के मकान तक, बहुदर के मकान से राजेन्द्र के मकान तक, शम्भू के मकान से सरदारजी के मकान तक, गिरिजा शंकर के मकान से लक्ष्मी के मकान तक एवं य0पी0 टेन्ट हाउस की गली में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	
	योग				476.808

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1 – उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2 – स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3 – प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4 – अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5 – स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6 – प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7 – परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8 – योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9 – उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10 प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

28/4

11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नही रोकी नही गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना अधिकारी, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक